जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति **दिनांक 26.10.2024**

एसओजी शामली व थाना झिंझाना पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में थाना क्षेत्रान्तर्गत बिडौली खनन स्टॉक प्वाइंट पर फायरिंग करने वाले 25,000/- रुपये के ईनामी/वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल की बरामदगी के दौरान हुयी पुलिस मुठभेड़ में अभियुक्त घायल, निशादेही/कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 पिस्टल 32 बोर मय कारतूस व कार बोलेरो कैम्पर एवं पुलिस पार्टी से छीनी गयी सरकारी पिस्टल व कारतूस बरामदः-

ज्ञात हो कि दिनांक 16.08.2024 को थाना झिंझाना क्षेत्रान्तर्गत बिडौली खनन स्टॉक प्वाइंट पर कुछ अज्ञात बदमाशों द्वारा फायरिंग की घटना की गयी थी। जिसमें 02 मजदूर वली पुत्र नजरू व तालिब पुत्र साजिद निवासीगण ग्राम बिडौली थाना झिंझाना जनपद शामली घायल हुए थे। घटना के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा घटना की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए प्रभारी निरीक्षक थाना झिंझाना को अभियुक्तगण की यशाशीघ्र गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया था।

इसी क्रम में दिनांक 25.10.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे चोरी/लूट/डकैती की घटनाओं के अनावरण एवं ऐसी वारदातों में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल पर्यवेक्षण में एसओजी शामली व थाना झिंझाना पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में 25 हजार रुपये के ईनामी/वांछित अभियुक्त विकास उर्फ विक्की को सिरसा हरियाणा से घटना में प्रयुक्त कार सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की गयी। अभियुक्त उपरोक्त पर उसकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक शामली 25,000/- रुपये का पुरस्कार घोषित किया गया था। अभियुक्त द्वारा पूछताछ में घटना में प्रयुक्त पिस्टल के बारे में बताया कि पिस्टल मेरे द्वारा बिडौली चौसाना रोड पर गुर्जरपुर तिराहे के पास छिपा रखी है जिसे मैं ही बरामद करा सकता हूं।

घटना में प्रयुक्त हथियार की बरामदगी हेतु आज दिनांक 26.10.2024 को गिरफ्तारशुदा अभियुक्त विकास उर्फ विक्की को बिडौली चौसाना रोड़ गुर्जरपुर तिराहा के पास ले जाया गया। जिसकी निशादेही पर दिनांक 16.10.2024 को हुयी फायरिंग की घटना में प्रयुक्त 01 अदद पिस्टल मय 01 कारतूस 32 बोर बरामद किया गया। इसी दौरान अभियुक्त विकास उर्फ विक्की द्वारा उ0नि0 जितेन्द्र कुमार त्यागी थाना झिंझाना की सरकारी पिस्टल छीनकर पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई, जिसमें मुख्य आरक्षी राजेन्द्र घायल हो गये। पुलिस पार्टी द्वारा आत्मरक्षार्थ की गयी फायरिंग में अभियुक्त विकास उर्फ विक्की गोली लगने से घायल हो गया। घायल अवस्था में अभियुक्त के कब्जे से छीनी गयी सरकारी पिस्टल 9एमएम मय 01 खोखा व 08 जिन्दा कारतूस भी बरामद हुयी है। फायरिंग में घायल अभियुक्त एवं मुख्य आरक्षी राजेन्द्र को उपचार हेतु सीएचसी ऊन भेजा गया है। अभियुक्त की गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। घटना में लिप्त अभियुक्त हरमनजीत पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। घटना में लिप्त अन्य अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं।

अपराध करने का उद्देश्यः- गिरफ्तारशुदा अभियुक्त विकास उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया गया कि मेरे गांव का ही सुमित पुत्र महावीर जो बिडौली स्थित खनन प्वाईंट पर कार्य करता है। सुमित के द्वारा मेरी बहन का रिश्ता गलत जगह करा दिया गया था, मेरी बहन इस रिश्ते से खुश नहीं थी तथा मुझसे शिकायत करती थी। अपनी बहन की परेशानी से आहत होकर मैने अपने साथियों के साथ मिलकर सुमित से बदला लेने की योजना बनाई। योजनानुसार दिनांक 16.08.2024 को मैंने अपने साथियों के साथ मिलकर थाना झिंझाना क्षेत्रान्तर्गत बिडौली खनन स्टोक प्वाइंट पर फायरिंग की घटना की थी।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.विकास कुमार उर्फ विक्की पुत्र रामजीलाल निवासी ग्राम आनन्दगढ़ थाना बढागुडा जनपद सिरसा हरियाणा।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त उपरोक्तः-

1.मु0अ0सं0 65/24 धारा 323/341/506/34 भादवि थाना बढागुढा जनपद सिरसा हरियाणा।

2.मु0अ0सं0 157/22 धारा 147/148/149/323/506 भादवि थाना बढागुढा जनपद सिरसा हरियाणा।
3.मु0अ0सं0 158/22 धारा 148/149/285/506 भादवि थाना बढागुढा जनपद सिरसा हरियाणा।
4.मु0अ0सं0 110/23 धारा 147/148/149/323/341/506 भादवि थाना बढागुढा जनपद सिरसा हरियाणा।
5.मु0अ0सं0 104/24 धारा 115/126/351(2)/3(5) भादवि थाना बढागुढा जनपद सिरसा हरियाणा।
6.मु0अ0सं0 327/2024 धारा 190/191(2)/191(3)/109(1) बीएनएस व धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना झिंझाना शामली जनपद शामली।

<u>बरामदगी का विवरणः-</u>

1.दिनांक 16.08.2024 को बिडौली खनन स्टॉक पर हुयी फायरिंग की घटना में प्रयुक्त 01 अवैध पिस्टल मय 01 जिंदा कारतूस 32 बोर।
2.पुलिस पार्टी से छीनी गयी सरकारी पिस्टल 9एमएम मय 01 खोखा व 08 जिन्दा कारतूस।
3.घटना में प्रयुक्त बोलेरो कैम्पर रजि0नं0- RJ 49 GA 6268।

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः–</u>

1.प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र सिंह थाना झिंझाना जनपद शामली।
2.उ0नि0 श्री पविन्द्र कुमार प्रभारी एसओजी टीम जनपद शामली।
3.उ0नि0 श्री अजयपाल थाना झिंझाना जनपद शामली।
4.उ0नि0 श्री जितेन्द्र त्यागी थाना झिंझाना जनपद शामली।
5.उ0नि0 श्री सचिन कुमार थाना झिंझाना जनपद शामली।
6.हे0का0 विपिन पाठक थाना झिंझाना जनपद शामली।
7.है0का0 राजेन्द्र सिंह थाना झिंझाना जनपद शामली।
8.है0का0 शेखर कुमार थाना झिंझाना जनपद शामली (घायल)।
9.का0 सुरेन्द्र राणा थाना झिंझाना जनपद शामली।
10.का0 दीपांकुर त्यागी एसओजी टीम जनपद शामली।
11.का0 दीपक निर्वाण एसओजी टीम जनपद शामली।

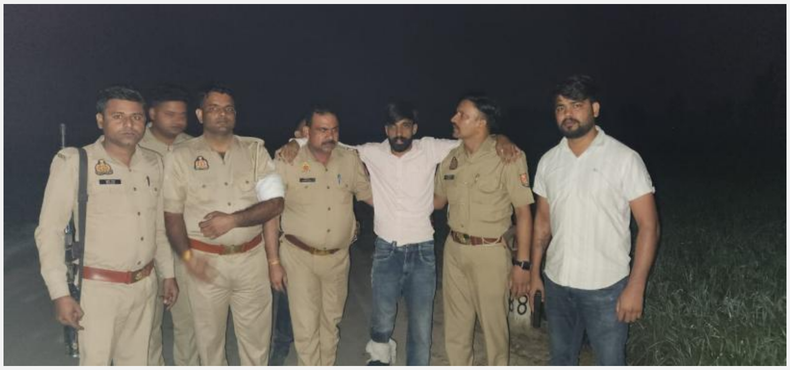

<u>थाना थानाभवन पुलिस द्वारा नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार:-</u>

ज्ञात हो कि दिनांक 05.06.2024 को थाना थानाभवन क्षेत्रान्तर्गत अभियुक्तगण द्वारा नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के सम्बन्ध में पीडिता के परिजन द्वारा थाना थानाभवन शामली पर नामजद लिखित तहरीर दी थी । पीडिता के परिजनो की तहरीर के आधार पर थाना थानाभवन पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था । घटना की गंभीरता के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा घटना में लिप्त अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु प्रभारी निरीक्षक थाना थानाभवन को निर्देशित किया गया था ।

आज दिनांक 26.10.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे महिलाओं के विरूद्ध अपराध की रोकथाम एवं महिला अपराधों से संबंधित वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी थानाभवन के निकट पर्यवेक्षण में थाना थानाभवन पुलिस द्वारा नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है । गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना थानाभवन पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है । घटना में लिप्त अभियुक्त आशीष को दिनाँक 06.07.2024 को व अभियुक्त अनुज व 01 बाल अपचारी को दिनांक 30.07.2024 को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है ।

<u>नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त:-</u>

1.रोहित पुत्र कश्मीरा निवासी ग्राम महमूदगढ थाना थानाभवन जनपद शामली ।

गिरफ्तार/अभिरक्षा मे लेने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 श्री सोमपाल सिंह थाना थानाभवन जनपद शामली ।

2.है0का0 दिनेश कुमार थाना थानाभवन जनपद शामली ।

3.है0का0 अमरदीप सिंह थाना थानाभवन जनपद शामली ।

थाना कैराना पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत भूरा चुंगी चौराहे के पास 01 व्यक्ति पर जानलेवा हमला करने के मामले में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त अवैध हथियार व कारतूस बरामदः-

ज्ञात हो कि दिनांक 22.10.2024 को वादी साहिल हसन पुत्र वाजिद हसन निवासी मौहल्ला आलखुर्द थाना कैराना जनपद शामली द्वारा अपने चचेरे भाई जुबेर पुत्र जाबिर के ऊपर भूरा चुंगी के पास जान से मारने की नियत से फायर करने के सम्बन्ध में नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध थाना कैराना पर तहरीर दी थी। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना कैराना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया था। उपरोक्त घटना के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक शामली ने प्रभारी निरीक्षक थाना कैराना को घटना में लिप्त अभियुक्तगण की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया था ।

इसी क्रम में आज दिनांक 26.10.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे अपराध की रोकथाम एवं अपराध में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना कैराना पुलिस द्वारा कैराना क्षेत्रान्तर्गत भूरा चुंगी के पास जान से मारने की नियत से फायर करने के मामले में वांछित 01 अभियुक्त को घटना में प्रयुक्त अवैध 01 पिस्टल मय 04 जिन्दा कारतूस 32 बोर सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरादमगी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। घटना में लिप्त शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीमें लगाई गयी है, शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित की जायेगी।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.राजिक पुत्र गफ्फार निवासी ग्राम जहानपुरा थाना कैराना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.घटना में प्रयुक्त 01 अवैध पिस्टल मय 04 जिन्दा कारतूस 32 बोर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 श्री आनन्द कुमार थाना कैराना जनपद शामली।

2.है0का0 मोहित कुमार थाना कैराना जनपद शामली।

3.का0 मोनू कुमार थाना कैराना जनपद शामली।

थाना गढीपुख्ता/थानाभवन/कोतवाली शामली/ झिंझाना पुलिस द्वारा वांछित/वारण्टी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 07 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तारः-

आज दिनांक 26.10.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली के आदेशानुसार चलाए जा रहे वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में थाना गढीपुख्ता/थानाभवन/कोतवाली शामली/झिंझाना पुलिस द्वारा वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 07 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सम्बन्धित थानों पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगणः-

1.हशरत पुत्र फक्कर भैसानी इस्लामपुर थाना थानाभवन जनपद शामली।
2.जीशान पुत्र फारुख निवासी मौहल्ला कुरैशियान थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।
3.नीटू पुत्र ओमप्रकाश निवासी मौहल्ला पंसारियान थाना कोतवाली जनपद शामली।
4.रिंकू पुत्र ओमप्रकाश निवासी मौहल्ला पंसारियान थाना कोतवाली जनपद शामली।
5.योगेश पुत्र पालेराम निवासी मौहल्ला पंसारियान थाना कोतवाली जनपद शामली।
6.रामकुमार पुत्र अर्जुन निवासी ग्राम शामली शामला थाना झिंझाना जनपद शामली ।
7.असगर पुत्र बुन्दू निवासी ग्राम बल्लामाजरा थाना झिंझाना जनपद शामली।

SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI